

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**कार्यालय आदेश**

का०आ०स०:-2/अ0प्र0-01-109/2021 33 /पटना, दिनांक :- 13-8-21

श्री सुधीर कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, कार्य प्रशाखा, पुनपुन के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 857 दिनांक 07.08.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन में संचालित कार्यों की मापी, Routine Inspection, Maintenance Inspection, Vent Clearance, E-marg, इत्यादि का पर्यवेक्षण नहीं करने तथा कोई प्रतिवेदन प्रमंडल में समर्पित नहीं करने, साथ ही मोबाईल पर आये Call का ससमय जबाव नहीं देने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1039 अनु0 दिनांक 09.08.2021 द्वारा श्री कुमार को तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। निर्गत पत्र श्री कुमार को दिनांक 09.08.2021 को ही हस्तगत करा दिया गया, किन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा वांछित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार का उक्त कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में श्री सुधीर कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, कार्य प्रशाखा, पुनपुन द्वारा कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, विभागीय निदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता के लिये इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

6. श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-109/2021 1116 /पटना, दिनांक :- 13-8-21

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-109/2021 1116 /पटना, दिनांक :- 13.8.21


प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 एवं श्री सुधीर कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, कार्य प्रशाखा, पुनपुन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-109/2021 1116 /पटना, दिनांक :- 13.8.21

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-109/2021 1116 /पटना, दिनांक :- 13.8.21

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख